



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय :-(0755) 2551166-71(111)



क्रमांक/गोपनीय-समन्वय/660/2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/9/2020

1. प्राचार्य

समस्त शास. जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थायें,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त अशासकीय मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थायें
मध्यप्रदेश।


3. समस्त समन्वयक संस्थायें
मध्यप्रदेश।

विषय:-वर्ष 2020 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा विषयक।

संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/गोपनीय/456, दिनांक 21.08.2020

उपरोक्त संदर्भित निर्देशानुसार डी.एल.एड.प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष 2020 के समस्त शास./अशा. मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सैद्धांतिक/व्यावहारिक परीक्षाओं के आन्तरिक मूल्यांकन एवं अध्यापनअभ्यास/विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने की अंतिम तिथि 20.09.2020 एवं ऑनलाईन अंकों की प्रविष्टि हेतु तिथि 22.09.2020 निर्धारित की गई थी।

वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त तिथि में वृद्धि करते हुये प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने की तिथि 20.09.2020 के स्थान पर 28.09.2020 एवं अंकों की ऑन लाईन प्रविष्टि करने हेतु दिनांक 30.09.2020 तक की वृद्धि की जाती है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।


परीक्षा नियंत्रक 21/9/20

माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21/9/2020

पृष्ठांकन क्रमांक/661/गोपनीय/2020
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
7. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
10. समस्त प्राचार्य, समन्वय संस्था मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सी.एस.ओ., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्त कक्ष को संस्थावार छात्र संख्या की सूची उपलब्ध करवाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. विधि सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. समस्त सभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मुख्यालय से नियुक्त बाह्य परीक्षकों के टी.ए./डी.ए./पारिश्रमिक (6/- प्रति छात्र के मान से) का भुगतान पात्रतानुसार अपने कार्यालय से करना सुनिश्चित करें।
14. पंजीयक परीक्षा/सहायक सचिव, समस्त परीक्षा संभाग मा.शि.म. भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं पत्र की प्रति समस्त डी.एड. संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाए जाने हेतु।
15. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल
16. संचालक एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल, म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



परीक्षा नियंत्रक 21/9/20

माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल